

Gcms-2025/1539

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025

10

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

वाद संख्या :-

1. रमेश कुमार पुत्र रतन लाल

रमेश कुमार  
प्रार्थी

बनाम

(1) तहसीलदार (भूमिदारी तहसील नीमकाथाना / पाटन।

अपार्थी

दावा बाबत घोषणा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 88 के तहत  
श्रीमान् जी

दावा बाबत घोषणात्मक निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :-

ग्राम डूंगरवादा की खाता संख्या 13 में मेरे ताऊजी का नाम किशन पुत्र बालू राम जाति माली एवं किशोर पुत्र बालू राम जाति माली दर्ज है लेकिन वन के सरकारी दस्तावेज मूल्यांकन पर मेरे ताऊजी का नाम कृष्ण किशोर है आता श्रीमान् जी जमाबन्दी के खाता संख्या 13 में मेरे ताऊजी का नाम कृष्ण किशोर पुत्र बालू राम करने की कृपया करें किशन, किशोर पुत्र बालू राम एवं कृष्ण किशोर पुत्र बालू राम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

रमेश कुमार  
प्रार्थी

प्रार्थी रमेश कुमार

द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक दर्ज रजिस्टर किया जाकर निम्नानुसार रिपोर्ट प्राप्त की गयी।

श्रीमान् जी

प्रापनिलय के लिये संलग्न रिपोर्ट के अनुसार ग्राम  
डूंगरवास की जमाबंदी संवत् 2075-78 में खाता सं. 13  
में प्लॉट नं. 1 के तालुकी का नाम किशन पुत्र बालुराम एवं  
किशोर पुत्र बालुराम जाति माली का. दर्ज रिपोर्ट है कि  
प्लॉट सही नाम बृष्ण किशोर पुत्र बालुराम अरवाना  
पावता है शुरु नाम के पक्ष में अरजारी दस्तावेज मूल्य

प्रमाण पत्र तथा प्रशासन द्वारा पंचायत नाथाडीनांगल

द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार तहसीलदार एवं मंडल पर


उपरोक्त मांगकरण द्वारा बताये अनुसार गाँव तालुकी


रिपोर्ट संलग्न साक्ष्य अनुसार सही नाम बृष्ण किशोर पुत्र

बालुराम जाति माली है। किशन किशोर पुत्र बालुराम एवं


किशोर पुत्र बालुराम दोनों एक ही व्यक्ति हैं।

2. रिपोर्ट सं. 13 में ग्राम डूंगरवास के प्लॉट नं. 13 में प्लॉट 1/5 बालुराम  
किशोर 1/5 बालुराम है। किशोर पुत्र बालुराम है। 1/4  
के भाग जना इति है।

  
नाथडीनांगल

  
16/11/25  
नाथडीनांगल

पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में  
आवेदन बाकी पत्रों में

  
तहसीलदार (भू. अ.)  
नीमकाथाना

श्रीमान् जी

बृष्ण किशोर पुत्र बालुराम जाति माली

निवासी डूंगरवास तथा किशन किशोर पुत्र

बालुराम जाति माली निवासी डूंगरवास

दोनों एक ही व्यक्ति हैं। किशन व किशोर

पुत्र बालुराम के स्थान पर बृष्ण किशोर पुत्र

बालुराम हिपा जाग उचित है।

आपकी


आधी

प्रशासक

प्रा. पं. नाथा की नांगल

पंचस नीमकाथाना (सीकर)

तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट के आधार पर वाद बादी पर्याप्त साक्ष्य  
के अभाव में खारिज किया जाता है।

  
राजवार सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

809  
2025